मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :- राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की नवमी बैठक, दिनांक 03/01/2009 का कार्यवाही विवरण ।

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की नवमी बैठक दिनांक 03/01/2009 को प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई । बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है । बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :-

1. **एजेण्डा क्रमांक - 1** : समिति की आठवीं बैठक दिनांक 19/08/2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

2. **एजेण्डा क्रमांक - 2** : समिति की आठवीं बैठक दिनांक 19/08/2008 के पालन प्रतिवेदन से सदस्य सचिव व्दारा समिति को अवगत कराया गया । समिति पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई । सतना एवं देवास जिलों में स्थित इकाईयों के प्रकरणों में महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, का प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर समिति द्वारा शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने हेतु संबंधित जिले के महाप्रबन्धक को उद्योग आयुक्त, के माध्यम से निर्देश दिए जाने का निर्णय लिया गया।

3. **एजेण्डा क्रमांक - 3** (अ) : उद्योग निवेश सवंर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् इकाईयों द्वारा पंजीयन हेतु विलंब से पंजीयन आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त लिए गए निर्णय :-

;पद्ध **मेसर्स जे.के. टायर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बामौर, जिला मुरैनाः-**

इकाई द्वारा उद्योग संवर्धन नीति 2004 के तहत इकाई को विस्तार अन्तर्गत विभिन्न सुविधाऐंः- उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, प्रवेश कर से मुक्ति, केप्टिव पॉवर प्लांट में उत्पादित विद्युत पर सेस से छूट एवं कम्पनी के प्रदेश में स्थित सेल डिपो से प्राप्त होने वाले टायर पर प्रवेश कर से मुक्ति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन किया गया था, जिसे शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की बैठक दिनांक 02 फरवरी 2005 में, तत्समय नियमों में प्रावधान न होने के कारण अमान्य किया गया । तत्पश्चात् उद्योग संवर्धन नीति 2004 में दिनांक 24.10.2007 को संशोधन हुआ एवं उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना में संशोधन सम्बन्धी आदेश दिनांक 25.06.2008 को जारी हुआ ।

नीति में संशोधन के पश्चात् इकाई से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत विस्तार सम्बन्धी पंजीयन हेतु दिनांक 05.12.2007 को ट्रायफेक में आवेदन प्राप्त हुआ । विस्तार अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.04.2006 है । संशोधित नियमों की कंडिका क्रमांक 8.5 में, उत्पादन प्रारंभ करने के बाद विलंब से आवेदन के संबंध में राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति को विवेकानुसार विलंब शिथिल करने के लिए अधिकृत किया गया है । समिति की आठवीं बैठक में पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन के कारणों के समर्थन में इकाई से शपथ-पत्र प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए गए थे । इकाई से शपथ-पत्र दिनांक 30.08.2008 को प्राप्त हुआ । कम्पनी द्वारा अपने शपथ-पत्र में लेख किया गया है, कि उद्योग संवर्धन नीति अन्तर्गत विभिन्न स्तरों ;थ्वतनउेद्ध के माध्यम से सुविधा हेतु आवेदन किया गया है, एवं उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन दिनांक 24.10.2007 के फलस्वरूप उनके द्वारा दिसम्बर 2007 में आवेदन किया जा चुका था । चूंकि इकाई द्वारा योजना के नियमों में संशोधन दिनांक 25.06.2008 के पूर्व आवेदन किया जा चुका था, इकाई द्वारा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में शपथ-पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उन्हें चर्चा उपरांत समिति द्वारा समाधानकारक मानकर निर्णय लिया गया कि विलंब को शिथिल करते हुए इकाई का उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना में पंजीयन किया जावे ।

;पपद्ध **मेसर्स पेब स्टील लॉयड (इंडिया) प्रा0लि0, पीथमपुर :-**

इकाई का आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,पीथमपुर के पत्र दिनांक 20.11.2007 के माध्यम से दिनांक 23.11.2007 को ट्रायफेक भोपाल को प्राप्त हुआ । इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.08.2007 है । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, से इकाई द्वारा विलंब से आवेदन के संबंध में प्रतिवेदन चाहा गया । महाप्रबन्धक द्वारा इकाई से विलंब से आवेदन के कारण प्राप्त करते हुए लेख किया गया कि इकाई उद्योग स्थापना एवं त्वरित उत्पादन की गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण योजनान्तर्गत आवेदन विलंब से प्रस्तुत किया गया है, अतः इकाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एंव उद्योग केन्द्र, द्वारा पंजीयन की अनुशंसा की गई । बिलंव से आवेदन के संबंध में समिति की छठवी बैठक दिनांक 17.12.2007 में निर्णय लिया गया था कि विलंब से आवेदन करने वाली इकाईयों के पंजीयन के संबंध में नियमों में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, अतः इकाई से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चतवअपेपवदंस पंजीयन जारी किया जावे । उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निगम द्वारा इकाई को चतवअपेपवदंस पंजीयन दिनांक 07.05.2008 को जारी किया गया ।

नियमों में संशोधन दिनांक 25.06.2008 के परिप्रेक्ष्य में पुनः दिनांक 19.09.2008 को समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों पर समिति द्वारा विलंब से आवेदन करने वाली इकाईयें से विलंब के कारणों के समर्थन में शपथ-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गए । जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के माध्यम से दिनांक 22.09.2008 को इकाई का शपथ-पत्र ट्रायफेक, भोपाल को दिनांक 25.09.2008 को प्राप्त हुआ, जिसमें इकाई द्वारा उद्योग स्थापना एवं त्वरित उत्पादन की गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण विलंब से आवेदन दिए जाने

के कारण का उल्लेख किया गया, अतः चर्चा उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि योजना का मुख्य उधेश्य राज्य में रोजगार की वृद्धि, नवीन इकाईयों की स्थापना एवं नवीन पूंजी वेष्ठन में अभिवृद्धि है। चूंकि कम्पनी द्वारा नवीन इकाई स्थापित की गई है, जिसमें लगभग रूपये 2101.70 लाख का पूंजी वेष्ठन किया गया है व 150 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा । अतः योजना के उधेश्य को दृष्टिगत रखते हुए इकाई का पंजीयन किए जाने का निर्णय लिया गया ।

;पपपद्ध **मेसर्स नर्मदा एक्स्ट्रूजन लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर :-**

इकाई का मुख्य उत्पाद एच.डी.पी.ई./पी.पी. बूवन सेक है, योजनान्तर्गत इकाई के आवेदन पत्र के आधार पर विस्तार हेतु दिनांक 29.12.2006 को पंजीयन जारी किया गया । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक 30.09.2006 है। इकाई के आवेदन दिनांक 19.08.2008, जो निगम में दिनांक 21.08.2008 को प्राप्त हुआ, में इकाई द्वारा लेख किया गया है कि योजनान्तर्गत जारी किए गए पंजीयन प्रमाण-पत्र में एच.डी. पी.ई./पी.पी. बूवन सेक का ही उल्लेख है, इसके स्थान पर एच.डी.पी.ई./पी.पी. बूवन सेक एण्ड फेब्रिक का उल्लेख कर संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किया जावे । पूर्व में इकाई के पंजीयन के आवेदन पत्र में लिपिकीय त्रुटि के कारण फेब्रिक शब्द का उल्लेख नहीं किया जा सका था । चूंकि इकाई का आवेदन उत्पादन दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, अतः इकाई के द्वारा विलंब से आवेदन करने के संबंध में शपथ-पत्र प्राप्त किया गया । चर्चा उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई के शपथ-पत्र में यह उल्लेख करना कि उसे नियमों का ज्ञान नहीं था, एवं उत्पादन सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त होने के कारण समयावधि में आवेदन नहीं कर सके प्रकरण की परिस्थितियों में तर्क संगत नहीं है । अतः इकाई का पंजीयन में संशोधन हेतु प्रस्ताव अमान्य किया जाता है ।

;पअद्ध **<u>मेसर्स भदौरा इण्डस्ट्रीज, अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान, टीकमगढ़</u> :-**

उद्योग संवर्धन नीति 2004 (संशोधित दिनांक 24.10.2007) में विस्तार अन्तर्गत पूंजी निवेश की सीमा में संशोधन के कारण इकाई को पात्रता आने से उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना हेतु आवेदन महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, टीमकगढ़ के पत्र दिनांक 28.12.2007 के माध्यम से ट्रायफेक में आवेदन दिनांक 31.12.2007 को प्राप्त हुआ । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 10.04. 2007 है, अर्थात इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के बाद योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन किया गया है । उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 25.06.2008 को नियमों में संशोधन हुआ । संशोधित नियमों की कंडिका क्रमांक 8.5 में उत्पादन प्रारंभ करने के बाद विलंब से आवेदन के संबंध में राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति को विवेकानुसार विलंब को शिथिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। समिति की आठवीं बैठक में पंजीयन हेतु बिलंव से आवेदन के कारणों के समर्थन में इकाई से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए प्रस्ताव समिति के निर्णय के पालन में इकाई से शपथ-पत्र दिनांक 02.12.2008 को महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, टीकमगढ़ के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसमें लेख किया गया है कि

उद्योग संवर्धन नीति में परिवर्तन की जानकारी उन्हें नवम्बर 2007 में प्राप्त हुई एवं आवेदन सम्बन्धी कार्यवाही करने में समय लग जाने के कारण दिनांक 28.12.2007 को आवेदन किया गया । समिति द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई द्वारा आवेदन उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन के फलस्वरूप पात्रता आने के कारण किया गया है, एवं योजनान्तर्गत नियमों में संशोधन दिनांक 25.06.2008 को हुआ है तथा इकाई द्वारा नियमों में संशोधन के पूर्व पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है । अतः इकाई को योजनान्तर्गत पंजीयन किए जाने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा क्रमांक - 3 (ब) : उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 में संशोधन एवं योजनान्तर्गत जारी अपात्र उद्योगों की सूची में संशोधन होने से आवेदन करने वाली ऐसी अपात्र इकाईयों, जिन्हें संशोधन के कारण पात्रता आ गई है, एवं इन इकाईयों के द्वारा योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन उत्पादन में आने के पश्चात् प्रस्तुत किया है, के पंजीयन हेतु विलंब से प्रस्तुत आवेदन पर भी इकाई से विलंब से कारण का शपथ पत्र लिया जावें, एवं ऐसी इकाईयों के प्रकरणों पर समिति द्वारा इकाईवार विचार किया जावेगा ।

4. **एजेण्डा क्रमांक - 4** : स्थापित इकाई द्वारा उसी नाम से समान उत्पाद हेतु नवीन इकाई के रूप में यूनिट क्रमांक-2 की स्थापना पर इकाई के योजनान्तर्गत पंजीयन के संबंध में प्रस्ताव पर चर्चा हुई । प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि, यूनिट क्रमांक-2 की स्थापना हेतु, वाणिज्यिक कर विभाग से पृथक पंजीयन प्राप्त कर, समान उत्पाद हेतु नवीन इकाई के रूप में इकाई एक ही कार्यस्थल/परिसर पर प्रारंभ की जाती है, या प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस इकाई को नवीन इकाई नहीं मान्य कर विस्तार अन्तर्गत पंजीयन हेतु कार्यवाही की जा सकती है । यदि उद्योग द्वारा अन्यत्र स्थान पर अथवा अन्य उत्पाद हेतु नवीन इकाई स्थापित की जाती है, तो ऐसी इकाईयों को नवीन इकाई के रूप में पंजीयन किया जा सकेगा।

5. **एजेण्डा क्रमांक - 5** : मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत द्वितीय वर्ष के क्लेम प्रकरण में डीम्ड कर निर्धारण मान्य करने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि योजनान्तर्गत इकाई व्दारा कर निर्धारण हेतु आवेदन किये जाने पर वाणिज्यिक कर विभाग 90 दिवस की कार्य अवधि में इकाई का कर निर्धारण करेगा ।

6. **एजेण्डा क्रमांक - 6 :** मेसर्स जे.पी. रीवा प्लांट, रीवा का विस्तार अन्तर्गत प्रथम वर्ष 2005-06 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन दिनांक 01/10/2005 है । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रीवा के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर योजना अन्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेश रू. 25490.48 लाख में से केप्टिव पॉवर प्लांट पर हुए पूंजी निवेश रू. 12031.21 लाख (उक्त में फर्नीचर मद् की राशि रूपये 25.99 लाख सम्मिलित है) कम करके रू. 13459.27 लाख की केपिंग निर्धारित की गई । इकाई द्वारा वर्ष 2005-06 में विस्तार अन्तर्गत दिनांक 01/10/2005 से

31/03/2006 तक म0प्र0 वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रू. 2,01,13,617.00 (शब्दों में रूपये दो करोड़ एक लाख तेरह हजार छः सौ सत्रह मात्र) की गई है, जिसकी पुष्टि वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा भी की गई है । इकाई द्वारा क्लेम प्रकरण योजनान्तर्गत समयावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आवश्यक सहपत्र उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन दिनांक 14.06.2006 को प्राप्त हुआ एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा कर पुष्टि प्रमाण-पत्र दिनांक 28.08.2006 को जारी किया गया है। इन स्थितियों के कारण विलंब से प्रस्तुत आवेदन /प्रकरण में विचार करने हेतु निवेदन किया गया है ।

समिति द्वारा क्लेम आवेदन विलंब से प्रस्तुत किए जाने के कारणों पर विचार किया गया। इकाई का क्लेम आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, द्वारा दिनांक 21.09.2006 को ट्रायफेक को प्रेषित किया गया था । नियम के अनुसार क्लेम आवेदन के साथ विगत वित्तीय वर्षों में भुगतान किए गए वाणिज्यिक कर के प्रमाणीकरण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है । उक्त प्रमाण-पत्र वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 28.06.2008 को जारी किया गया । अतः समिति द्वारा विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारणों को समाधानकारक मानते हुए विलंब अवधि को शिथिल किए जाने का निर्णय लिया गया ।

इकाई के क्लेम प्रकरण के संबंध में समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई की पात्रता अनुसार कर की कुल जमा राशि का 75 प्रतिशत इकाई की पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रू. 1,50,85,212.00 (शब्दों में रूपये एक करोड़ पचास लाख पच्यासी हजार दो सौ बारह मात्र) समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गई ।

7. **एजेण्डा क्रमांक - 7 :** मेसर्स डिलाइट डेयरी लि0 देवास, का प्रथम वर्ष 2007-08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इकाई का उत्पादन दिनांक 15/09/2007 है । इकाई के पंजीयन सम्बन्धी प्रकरण का परीक्षण किया गया । इकाई द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन दिनांक 27/09/2007 को किया गया है, पंजीयन आवेदन में संभावित उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक अगस्त/सितम्बर 2007 का उल्लेख किया गया था। अतः ट्रायफेक, भोपाल द्वारा दिनांक 14/11/2007 को इकाई के पक्ष में पंजीयन जारी किया गया । प्रस्तुत क्लेम में उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 15/09/2007 है, अर्थात इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । चर्चा उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, इकाई से पंजीयन हेतु विलंब से आवेदन के कारणों के समर्थन में शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे ।

8. **एजेण्डा क्रमांक - 8 :** मेसर्स त्रिमुला इण्डस्ट्रीज, प्रा0लि0, गोदवाली, तह0 देवसर, जिला सीधी, का प्रथम वर्ष 2007-08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया । इकाई का उत्पादन दिनांक 07/07/2007 है, महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीधी के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर

अस्तियों में पूंजी निवेश रू. 35,04,77,380.00 (शब्दों में रूपये पैंतीस करोड़ चार लाख सतहत्तर हजार तीन सौ अस्सी मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई । इकाई द्वारा वर्ष 2007-08 में म0प्र0 वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रू. 1,82,06,482.00 (शब्दों में रूपये एक करोड़ बयासी लाख छः हजार चार सौ बयासी मात्र) की 75 प्रतिशत इकाई की पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रू. 1,36,54,861.00 (शब्दों में रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार आठ सौ इकसठ मात्र) समिति द्वारा अनुमोदित कर स्वीकृत की गई।

9. **एजेण्डा क्रमांक - 9 :** मेसर्स जयदीप इस्पात एण्ड अलॉयज प्रा0लि0, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का द्वितीय वर्ष 2007-08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन दिनांक 04/03/2006 है। उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत इकाई का पंजीयन दिनांक 19/04/2007 को जारी हुआ है, इकाई के पंजीयन के प्रकरण का परीक्षण किया गया । इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, के माध्यम से दिनांक 04/11/2006 को ट्रायफेक को प्राप्त हुआ है, अर्थात् इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने के बाद पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । समिति द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि इकाई से विलंब से आवेदन के समर्थन में शपथ-पत्र प्राप्त किया जावे व क्लेम प्रकरण को लंबित रखा जावे ।
10. **एजेण्डा क्रमांक - 10 :** मेसर्स राजरतन ग्लोबल वायर लि. औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-2004 के अन्तर्गत पंजीयन के संबंध में एजेण्डा महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर के निरीक्षण प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया गया । महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा दिनांक 24.12.2007 के उत्पादन प्रमाण-पत्र में कोई संशोधन नहीं किया गया है । अतः उत्पादन प्रमाण-पत्र अनुसार पंजीयन की कार्यवाही की जावे ।

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त हुई ।

(प्रवीण गर्ग)	**(सत्यप्रकाश)**	
प्रबंध संचालक	**प्रमुख सचिव**	
मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन एवं राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति	वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति	सदस्य सचिव,

परिशिष्ट

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की नवमीं बैठक 03/01/2009 मे उपस्थित अधिकारियों की सूची

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की नवमीं बैठक दिनांक 03/01/2009 को श्री सत्यप्रकाश, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

उपस्थित सदस्य :-

क्रमांक	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री दीपक खाण्डेकर	उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश
2	श्री पी.के. दास,	आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर
3	श्री असित गोपाल	अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन विŸा विभाग
सदस्य सचिवः-		
4	श्री प्रवीण गर्ग	प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी एवं एम.पी. ट्रायफेक

अन्य उपस्थित अधिकारीः-		
5	श्री व्ही.के. बरोनिया	कार्यकारी संचालक, एम.पी. ट्रायफेक
6	श्री एच.पी. शर्मा,	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, इन्दौर